

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(15)शिक्षा-2/2020 जयपुर दिनांक 22.07.2021 व 20.09.2021 द्वारा श्रीमती रश्मि सान्दू, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि खारिया खंगार, जोधपुर के परीक्षाकाल में 30 दिवस से अधिक लिये गये असाधारण अवकाश की स्वीकृति पश्चात 214 दिवस का असाधारण अवकाश एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	लिये गये अवकाश	दिवसों की संख्या	कुल दिवस
1.	01.08.2017 से 02.08.2017	02	कुल 214 दिवस (असाधारण अवकाश)
	05.09.2017 से 09.09.2017	05	
	26.10.2017 से 09.11.2017	15	
	10.11.2017 से 25.11.2017	16	
	04.12.2017 से 14.12.2017	11	
	16.12.2017 से 22.12.2017	07	
	03.03.2018 से 15.03.2018	13	
	24.03.2018 से 04.04.2018	12	
	06.04.2018 से 20.04.2018	15	
	23.04.2018 से 30.04.2018	08	
	02.05.2018 से 08.05.2018	07	
	21.06.2018 से 04.07.2018	14	
	06.07.2018 से 11.07.2018	06	
	13.07.2018 से 04.08.2018	23	
	23.08.2018 से 25.08.2018	03	
	05.09.2018 से 06.09.2018	02	
	18.12.2018 से 22.12.2018	05	
	08.01.2019 से 18.01.2019	11	
	14.03.2019 से 16.03.2019	03	
	02.04.2019 से 04.04.2019	03	
	08.04.2019 से 11.04.2019	04	
	25.06.2019 से 28.06.2019	04	
	12.09.2019 से 14.09.2019	03	
	11.10.2019 से 18.10.2019	08	
	18.11.2019 से 29.11.2019	12	
	03.01.2020 से 04.01.2020	02	

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 12.10.2020 द्वारा 30 दिवस का असाधारण अवकाश पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है। 'वित्त (नियम) विभाग' के 'मैमोरेण्डम' दिनांक 08.08.2019 (संशोधित दिनांक 25.10.2019 एवं 06.01.2020) के प्रावधानुसार कार्मिक द्वारा परीक्षा अवधि में लिये गये अवकाशों के आधार पर नियमानुसार कुल (244-30) 214 दिवस की वृद्धि होगी। कार्मिक के असाधारण अवकाश अवधि का लेखा एवं इन्द्राज उसकी सेवा पुरतिका में आवश्यक रूप से किया जावे।

(श्याम सुन्दर सोलंकी)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक:- 22/10/2021

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/अवकाश/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
4. संबंधित संस्था प्रधान.....।
5. संबंधित कार्मिक.....।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)